हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सोलहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 151

वीरवार, 24 अगस्त, 2017/2 भाद्रपद, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पुलिस थाना धर्मपुर, जिला मण्डी में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार की घटना से सम्बन्धित वक्तव्य सदन में दिया।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, तीन दिनों से नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हम चर्चा मांग रहे हैं कि क्वैश्चन आवर को सस्पैंड किया जाए और प्रदेश की वर्तमान लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पर चर्चा हो। आपने कहा कि मैं नियम-67 के तहत चर्चा अलाउ नहीं कर सकता। आपने पहले दो दिन सस्पैंड नहीं किया और क्वैश्चन आवर को आपने आज भी सस्पैंड नहीं किया। आपने मुख्य मन्त्री जी को किस रूल के तहत स्टेटमैंट देने की इज़ाजत दी, यह कौन सा नियम है? इसी के साथ श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले कल मैंने नियम-67 के अन्तर्गत एक अत्यन्त संवेदनशील विषय का नोटिस दिया था जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर नियम-67 के अन्तर्गत प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सर्वप्रथम चर्चा करवाई जाए।

इस माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी से कल दिनांक 23.08.2017 को 4.13 बजे नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैंने गम्भीरता से विचार किया है। यह विषय चर्चा नियम-67 की परिधि में नहीं आता है। मैंने इस विषय का प्रक्रिया नियमों के अनुसार नियम-62 में परिवर्तित करके कल दिनांक 25 अगस्त, 2017 को चर्चा हेतु निर्धारित किया है। मैंने आपको चर्चा के लिए मना नहीं किया था लेकिन ये नियम-67 के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए आप नियम-62 के अन्तर्गत या किसी अन्य रूल के अन्तर्गत चर्चा कर लीजिए। आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि चर्चा हो सकती है। "

11.43 AM

1. प्रश्नोत्तर:

(i) तारांकित प्रश्न:

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3818, 3993, 4007 व 4008 माननीय सदस्यों द्वारा नहीं पूछे गए । अतारांकित प्रश्न संख्या 4044 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 4022 से 4133 तक के उत्तर मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए ।

(ii) अतारांकित प्रश्न:

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1674, 1707 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1738 से 1740 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए ।

(पूर्वाह्न 11.45 बजे सदन की बैठक अपराह्न 12.00 बजे तक स्थगित की गई)
(अपराह्न 12.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(विपक्ष के माननीय सदस्य नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जोर देते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के पास एकत्रित हो गए तथा नारे लगाते रहे)

2. कागजात सभा पटल पर:

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2016 दिनांक 24.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.08.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस(बेतार)/ उप अधीक्षक पुलिस(बेतार), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह-डी-बी(1)-17/82-IV दिनांक 01.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-ए(1)-1/2010 दिनांक 28.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2016 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक अधिकारी, (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(2)-7/2008 दिनांक 08.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.12.2016 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3)-7/2013 दिनांक 09.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.12.2016 को प्रकाशित;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परियोजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3)-9/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3)-10/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

(ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3)-4/2010 दिनांक 08.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2016 को प्रकाशित;

(x) भारतके संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (योजना) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3)-5/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

(xi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डाटा एंट्री ऑप्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(2)-2/2008 दिनांक 09.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.03.2016 को प्रकाशित;

(xii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह (सतर्कता)ए(3)-22/2016 दिनांक 03.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.07.2017 को प्रकाशित; और

(xiii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह(सतर्कता)ए(3)-8/2016 लोकायुक्त नियम, दिनांक 20.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.05.2017 को प्रकाशित ।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(3) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 337वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 371वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 79वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(i) समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में आवास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा आवास विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 78वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 79वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 80वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का 81वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 के ऑडिट पैरा संख्या:3.1 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(4) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 37वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 40वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 41वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

(5) **श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 37वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 38वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

(6) **श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(7) **श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि विद्युत विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा विद्युत विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया ।

प्रस्ताव स्वीकार।

5. <u>विधायी कार्य :</u>

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन विधेयक, 2017) (2017 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन विधेयक, 2017) (2017 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ ।

(ii) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि** हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन विधेयक, 2017)(2017 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन विधेयक, 2017)(2017 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
अनुसूची विधेयक का अंग बनी।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित जाए।

प्रस्ताव स्वीकार ।

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पारित हुआ।

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्यः

"संकल्प"

श्री महेश्वर सिंह, सदस्य के निम्न प्रस्ताव जिस पर दिनांक 09.03.2017 को सदन में चर्चा हुई, के उत्तर की प्रति माननीय मुख्य मन्त्री ने सभा पटल पर रखीः-

यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों हेतु प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर समाज के कमजोर वर्गों के पुर्नवास हेतु नीति बनाए।

(संकल्प अस्वीकार हुआ)

पहला संकल्पः

श्री गुलाब सिंह ठाकुर-------- अनुपस्थित।

दूसरा संलल्पः

श्री इन्द्र सिंह---------अनुपस्थित।

(विपक्ष के माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप नारे लगाते रहे)

अपराह्न 12.25 बजे सदन की बैठक शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।